न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 69/2008

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 गणेशाराम पुत्र लिखमाराम जाति जाट निवासी भाखरवासी तहसील फतेहपुर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 मूर्ति मन्दिर श्री रामदेवजी वाके ग्राम भाखरवासी तहसील फतेहपुर जरिये उपासक गुलाबसिंह जरिये उपासक जगरूपसिंह राठौड़ पुत्र गुलाबसिंह राठौड़ जाति राजपूत निवासी भाखरवासी तहसील फतेहपुर जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्ट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 31.05.08
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय फतेहपुर
बसिलसिले दावा सं0 75/2001 उनवानी मूर्तिमंदिर
श्री रामदेवजी वाके ग्राम भाखरवासी बनाम गणेशा
दावा बाबत घोषणा अ0 धारा 88/91/183
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित

1. श्री लक्ष्मणसिंह अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री कैलाश सोनी अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–23.10.2018

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर द्वारा दावा संख्या 75/2001 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.05.2008 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 127 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा ग्राम भाखरवासी तहसील फतेहपुर जिला सीकर स्थित है जिसकी खातेदारी रेस्पोडेंट के हक में अंकित है, जबकि इस भूमि में अपीलांट व चार अन्य भिन्न–भिन्न व्यक्तियों की काफी वर्षो पूर्व बनी हुयी गुवाडी है, जिसमें वे आबाद है तथा इसी भूमि खसरा नम्बर 127 में सार्वजनिक सांडशाला, सार्वजनिक कुआ, सरकारी स्कूल 8वी कक्षा तक की व गुगाजी की मैडी व बालाजी का मंदिर बने हुए है, अपीलांट की गुवाड़ी भी इसी भूमि मे दावा दायरी से 35 वर्षो से भी अधिक समय से बनी हुयी है, जिसमें 17–18 पुख्ता मकानात बने हुए है, जिसका अपीलान्ट के हक में तहसीलदार फतेहपुर द्वारा 15.10.1973 को पट्टा भी बनाकर दिया है। अपीलांट की गुवाड़ी के स्थान पर पहले अपीलांट का पैतृक बाड़ा बना हुआ था, रेस्पोडेंट मूर्ति मंदिर श्री रामदेवजी ने खसरा नम्बर 127 में बने आवासीय घरो में से पार्टीबाजी के आधार पर जरिये उपासक स्व. गुलाबसिंह केवल अपीलांट की आवासीय गुवाडी जिसे अधिनस्थ न्यायालय में दावे के साथ प्रस्तुत नक्शे में काले रंग से दिखाई गयी है, के सम्बंध का दावा इस्तकरार व बेदखली अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका अपीलांट ने जवाब दावा प्रस्तुत किया। योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने दावे व जवाब दावे के आधार पर तनकीयात कायम की व दोनों पक्षों की मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य लेकर वाद सुनवाई योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 31.05.2008 के द्वारा रेस्पोडेंट का दावा विरूद्व कानून डिक्री कर दिया। जिसके विरूद्व यह अपील प्रस्तुत हुई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि तहसीलदार ने 590 वर्गगज का पट्टा विवादित भूमि में से दिनांक 15.10.1973 को अपीलांट को जारी किया हुआ है जिसके विरूद्व अपर जिला कलेक्टर के यहां निगरानी हुई थी जो खारिज हो गई है। वादी का दावा मियाद बाहर था विचारण न्यायालय को पट्टा खारिज करने का अधिकार नही था अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावें। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.डी 1992 पेज 79 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड एवं मौखिक साक्ष्य का विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नही है अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादी अपीलांट ने जवाब दावे में अतिरिक्त कथन में पैरा संख्या 12 में स्पष्ट अंकित किया है कि प्रतिवादी खसरा नम्बर 127 में 590 वर्गगज भूमि पर पिछले 35 साल से मकानात, बाड़ा, नोहरा बनाकर सहपरिवार आबाद है जिसका पट्टा आवासीय परियाजनार्थ तहसीलदार फतेहपुर द्वारा उसका कब्जा अधिकार में परिपक्व हो जाने पर वैद्य रूप से दिनांक 15.10.1973 को जारी किया गया है। विचारण न्यायालय ने इस बिन्दु पर तनकी कायम कर उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त नही किये। यह बिन्दु प्रस्तुत वाद में महत्वपूर्ण विवाद विषय वस्तु है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त विवेचन अनुसार तनकी कायम करे उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त करे तदुपरान्त बाद सुनवाई गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.11.2018 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 23.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

23/x/18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर